



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 28, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-03

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	35—42	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	19—28	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	07—09	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—2

कार्यालय ज्ञाप

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या—459(22)/XXIV-2/2024-17(01)2024—उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री कमल भट्ट (अनुक्रमांक—139250, श्रेष्ठता क्रमांक—22, श्रेणी—सामान्य/EWS), पुत्र श्री भुवन चन्द्र भट्ट, पता—ग्राम व पो—भाबू, तहसील—जैती, ब्लॉक—लमगड़, अल्मोड़ा को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100—177500 लेवल—10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री कमल भट्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय—समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण—पत्र/घोषणा—पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण—पत्र, उनकी एक—एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के संबंध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-583 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-53 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या-459(23)/XXIV-2/2024-17(01)2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री तरुण मिश्रा (अनुक्रमांक-293933, श्रेष्ठता क्रमांक-23, श्रेणी-सामान्य), पुत्र श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, पता-78/4/5 ए, बी0एच0ई0एल0 रानीपुर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री तरुण मिश्रा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के संबंध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या—202 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—219 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—289 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—301 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—399 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—583 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—550 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—53 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—245 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या—466 (एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100—177500 लेवल—10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या—459(24)/XXIV-2/2024-17(01)2024—उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री दीप्ति शिखा (अनुक्रमांक—142774, श्रेष्ठता क्रमांक—24, श्रेणी—अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड महिला), पुत्री श्री एल0आर0 आर्या, पता—बुद्ध विहार फेज—2, जवाहर ज्योति, दमुवाढुंगा, नियर अम्बेडकर पार्क, हल्द्वानी, नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100—177500 लेवल—10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण

कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— सुश्री दीप्ति शिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के संबंध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या—202 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—219 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—289 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—301 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—399 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—583 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—550 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या—53 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—245 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या—155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या—466 (एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100—177500 लेवल—10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।

राजस्व अनुभाग—2

अधिसूचना

06 जनवरी, 2025 ई0

संख्या—30 / XVIII(II)/2025—शासन के विनिमय स्वीकृति आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2023 के क्रम में न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), ऊखीमठ के न्यायालय के वाद संख्या—76/2023, अन्तर्गत धारा—161 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0, 1950 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा प्रथम पक्ष राज्य सरकार जरिये कलेक्टर, रुद्रप्रयाग की ग्राम भटवाड़ी की ज0वि0र0 (नॉन जेड0ए0) खतौनी की श्रेणी—9(3)(ग) के खाता संख्या—09 के खसरा संख्या—881 रकबा 1.693 है0 मध्ये 0.067 है0 भूमि का द्वितीय पक्ष के पक्षकारों की ग्राम किमाणा में स्थित भूमि श्रेणी 1—क की भूमि खसरा संख्या—118 रकबा 0.035 है0 मध्ये 0.014 है0, खसरा संख्या—118 रकबा 0.035 है0 मध्ये 0.013 है0, खसरा संख्या—117 रकबा 0.009 है0 तथा खसरा संख्या—119 रकबा 0.031 है0 भूमि कुल रकबा 0.067 है0 भूमि से विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय-समय पर यथासंशोधित) (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016) की धारा 2 की उपधारा (4) में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम भटवाड़ी की ज०वि०र० (नॉन जेड0ए0) खतौनी की श्रेणी-9(3)(ग) स्थायी पशुचर भूमि के खाता संख्या-09 के खसरा संख्या-881, रकबा 1.693 हे०, मध्ये 0.067 हे० भूमि पर उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश-2001 का प्रसार किये जाने तथा ग्राम किमाणा की ख०खा०सं०-25, खसरा संख्या-118, रकबा 0.035 हे०, मध्ये 0.014 हे०, खसरा संख्या-118, रकबा 0.035 हे०, मध्ये 0.013 हे०, खसरा संख्या-117, रकबा 0.009 हे० तथा खसरा संख्या-119, रकबा 0.031 हे०, कुल रकबा 0.067 हे० भूमि पर न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), ऊखीमठ के न्यायालय के वाद संख्या-76/2023, अन्तर्गत धारा-161 उ०प्र० ज०वि० एवं भू०व्य०अधि०, 1950 में निर्गत विनिमय आदेश के पश्चात् उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश-2001 के क्षेत्राधिकार से बाहर किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा० आनन्द श्रीवास्तव,

अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 28, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 04, 2024

No. 431/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungrakoti, Secretary, DLSA, Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 16 days w.e.f. 17.09.2024 to 02.10.2024 with permission to prefix 15.09.2024 & 16.09.2024 as Sunday and Barawafat holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 13, 2024

No. 435/XIV-35/Admin.A/2008--Shri Ramesh Singh, the then Additional District & Sessions Judge, Almora presently posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f. 17.09.2024 to 09.10.2024.

NOTIFICATION*December 13, 2024*

No. 436/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, Civil Judge (Sr.Div.), Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 15.07.2024 to 20.07.2024 with permission to prefix 13.07.2024 & 14.07.2024 as second Saturday and Sunday holiday and suffix 21.07.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*December 13, 2024*

No. 437/XIV-1/Admin.A/2008--Shri Ambika Pant, Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 26.09.2024 to 09.10.2024 with permission to suffix 10.10.2024 to 12.10.2024 as Dussehra & 13.10.2024 as Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION*December 18, 2024*

No. 438/XIV-a-27/Admin.A/2016--Shri Ramesh Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 03.10.2024 to 22.10.2024.

NOTIFICATION*December 18, 2024*

No. 439/XIV-a-45/Admin.A/2020--Ms. Ruchika Narula, Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 14.10.2024 to 29.10.2024 with permission to prefix 10.10.2024 to 13.10.2024 as Dussehra holidays and suffix 30.10.2024 to 03.11.2024 as Deepawali holidays respectively.

NOTIFICATION*December 18, 2024*

No. 440/XIV-a-33/Admin.A/2020--Shri Prateek Mathela, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 14.10.2024 to 29.10.2024 with permission to prefix 10.10.2024 to 13.10.2024 as Dussehra holidays and suffix 30.10.2024 to 03.11.2024 as Deepawali holidays.

NOTIFICATION*December 18, 2024*

No. 441/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal Gupta, Chief Judicial Magistrate, Champawat is hereby sanctioned earned leave for 03 days w.e.f. 14.10.2024 to 16.10.2024.

NOTIFICATION*December 18, 2024*

No. 442/XIV-a/33/Admin.A/2013--Ms. Nazish Kaleem, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 03 days w.e.f. 07.10.2024 to 09.10.2024 with permission to prefix 06.10.2024 as Sunday holiday and suffix 10.10.2024 to 13.10.2024 as Dusshera holidays for the purpose of L.T.C.

NOTIFICATION

December 18, 2024

No. 443/XIV-a-28/Admin.A/2016--Ms. Meenakshi Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 19.10.2024 to 28.10.2024 with permission to suffix 29.10.2024 as local holiday & 30.10.2024 to 02.11.2024 as Deepawali holidays and 03.11.2024 as Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 20, 2024

No. 444/UHC/Admin.A-2/F.No.85/ACP/2024--

Subject: Grant of 1st Assured Career Progression (ACP) to Judicial Officers of Uttarakhand Judicial Service for their services in Civil Judge (Jr. Div.), Cadre.

Pursuant to the Rule-27 of "Uttarakhand Judicial Service Rules, 2005" and in light of the judgement dated 19.05.2023 of Hon'ble Supreme Court in "All India Judges Association Vs. Union of India & Ors", the High Court of Uttarakhand is pleased to grant the benefit of Assured Career Progression (ACP) [₹ 92960-136520(J-2)] to the following Judicial Officers of Uttarakhand Judicial Service, who were/ are eligible for the grant of 1st ACP during their tenure as Civil Judge (Jr. Div.), for the specified duration/from the date, as mentioned against their names:

S.N.	Name of the officer	Present posting	Specified period /commencement date of 1 st ACP as Civil Judge (Jr. Div.)
1.	Ms. Rinky Sahni	1 st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	10.03.2016 to 07.07.2016
2.	Ms. Shivani Pasbola	Registrar, Debt Recovery Tribunal (DRT)-2, Chandigarh	11.03.2016 to 08.07.2016
3.	Shri Ravi Prakash	Chief Judicial Magistrate, Nainital	15.03.2016 to 13.07.2016
4.	Shri Shahzad Ahamad Wahid	1 st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar	10.03.2016 to 11.07.2016
5.	Ms. Akata Mishra	Deputy General Manager (Legal), National Highways Authority of India (NHAI), Delhi, New Delhi	14.03.2016 to 10.07.2016
6.	Shri Rajeev Dhawan	Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital	09.03.2016 to 08.07.2016
7.	Shri Mohammad Yaqoob	Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal	11.03.2016 to 05.07.2016
8.	Ms. Chhavi Bansal	Chief Judicial Magistrate, Chamoli	08.10.2017 to 16.04.2018
9.	Ms. Ritika Semwal	Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar	11.10.2017 to 16.04.2018
10.	Ms. Vibha Yadav	2 nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar	15.10.2017 to 06.05.2018
11.	Shri Sanjay Singh	Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh	12.10.2017 to 16.04.2018

12.	Shri Sayed Gufran	Chief Judicial Magistrate, Dehradun	05.10.2017 to 17.04.2018
13.	Ms. Indu Sharma	1 st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar	24.12.2017 to 16.04.2018
14.	Shri Manoj Kumar Dwivedi	Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal	03.10.2017 to 18.04.2018
15.	Ms. Niharika Mittal Gupta	Chief Judicial Magistrate, Champawat	10.10.2017 to 16.04.2018
16.	Shri Harsh Yadav	Civil Judge (Sr. Div.), Nainital	08.10.2017 to 17.04.2018
17.	Shri Ravi Shankar Mishra	Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun	09.10.2017 to 17.04.2018
18.	Shri Sandip Kumar Tiwari	Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Dehradun	02.10.2017 to 15.04.2018
19.	Ms. Seema Dungarakoti	Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun	24.12.2017 to 16.04.2018
20.	Ms. Sachi Sharma	Secretary, District Legal Services Authority, Almora	09.10.2017 to 13.09.2018
21.	Ms. Sweta Pandey	2 nd Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar	16.10.2017 to 15.09.2018
22.	Shri Abhishek Kumar Srivastava	Secretary, High Court Legal Services Committee, Nainital	08.10.2017 to 16.09.2018
23.	Ms. Shweta Rana Chauhan	Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi	06.10.2017 to 13.09.2018
24.	Shri Avinash Kumar Srivastava	Chief Judicial Magistrate, Haridwar	06.10.2017 to 12.09.2018
25.	Ms. Tricha Rawat	Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar	08.10.2017 to 01.02.2019
26.	Shri Sachin Kumar	Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar	04.10.2017 to 12.09.2018
27.	Ms. Lalita Singh	Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Haridwar	08.10.2017 to 14.09.2018
28.	Ms. Arti Saroha	Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh	24.12.2017 to 12.09.2018
29.	Shri Sanjeev Kumar	1 st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	04.10.2017 to 14.09.2018
30.	Ms. Simranjit Kaur	Secretary, District Legal Services Authority, Haridwar	09.10.2017 to 14.09.2018
31.	Shri Sandeep Singh Bhandari	2 nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	12.10.2017 to 14.09.2018

32.	Ms. Shama Nargis	Ex-Judicial Officer Now resigned Technically and absorbed permanently as Deputy Director (Law), Competition Commission of India, New Delhi	06.10.2017 to 29.01.2019
33.	Ms. Neha Kushwaha	Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital	05.10.2017 to 29.01.2019
34.	Ms. Anita Kumari	2 nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	06.10.2017 to 29.01.2019
35.	Ms. Neha Qayyum	Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal	24.12.2017 to 29.01.2019
36.	Shri Akram Ali	Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	06.10.2017 to 29.01.2019
37.	Shri Neeraj Kumar	Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar	04.10.2017 to 25.01.2019
38.	Shri Ashok Kumar	Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag	15.10.2017 to 29.01.2019
39.	Ms. Payal Singh	Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar	24.12.2017 to 29.01.2019
40.	Ms. Nazish Kaleem	3 rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar	12.09.2018 to 28.01.2019
41.	Ms. Rashmi Goyal	Civil Judge (Sr. Div.), Champawat	13.09.2018 to 29.01.2019
42.	Shri Akhilesh Kumar Pandey	Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), Haldwani, District Nainital	17.09.2018 to 28.01.2019
43.	Shri Imran Mohammad Khan	Additional Chief Judicial Magistrate, Haridwar	17.09.2018 to 28.01.2019
44.	Shri Sachin Kumar Pathak	Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli	24.09.2018 to 30.01.2019
45.	Ms. Durga	Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar	17.09.2018 to 15.04.2019
46.	Shri Puneet Kumar	Secretary, District Legal Services Authority, Chamoli	13.09.2018 to 30.01.2019
47.	Rajesh Kumar	Joint Secretary (Law)- cum-Joint L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun	13.09.2018 to 28.01.2019
48.	Shri Dayaram	Chief Judicial Magistrate, Almora	16.01.2019 to 15.06.2020
49.	Ms. Afiya Mateen	Additional Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal	06.05.2020 to 15.06.2020
50.	Shri Amit Kumar	3 rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	11.05.2020 to 15.06.2020
51.	Shri Alok Ram Tripathi	Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	11.05.2020 to 16.06.2020
52.	Shri Mithilesh Pandey	Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal	11.05.2020 to 14.06.2020

53.	Shri Ravindra Dev Mishra	Civil Judge (Sr. Div.), Almora	11.05.2020 to 16.06.2020
54.	Shri Ravi Ranjan	Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag	08.05.2020 to 16.06.2020
55.	Shri Kapil Kumar Tyagi	3 rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	11.05.2020 to 14.06.2020
56.	Shri Abhay Singh	Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi	09.05.2020 to 15.06.2020
57.	Ms. Mamta Pant	4 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	06.05.2020 to 16.06.2020
58.	Ms. Anamika Singh	5 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	08.05.2020 to 17.06.2020
59.	Ms. Beenu Gulyani	Secretary, District Legal Services Authority, Nainital	11.05.2020 to 23.08.2022
60.	Shri Nadeem Ahamad	4 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar	07.05.2020 to 26.08.2022
61.	Shri Dharmendra Shah	6 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	07.05.2020 to 26.08.2022
62.	Ms. Sahista Bano	4 th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	07.05.2020 to 23.08.2022
63.	Shri Anoop Singh	Joint Registrar (I.T.), High Court of Uttarakhand, Nainital	30.05.2020 to 25.08.2022
64.	Ms. Shama Parveen	5 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar	06.05.2020 to 23.08.2022
65.	Ms. Manju Devi	Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh	07.05.2020 to 22.08.2022
66.	Ms. Jayshree Rana	Civil Judge (Sr. Div.), Uttarkashi	06.05.2020 to 22.08.2022
67.	Ms. Suman	Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag	07.05.2020 to 23.08.2022
68.	Ms. Bushra Kamal	Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), Roorkee, District Haridwar	24.06.2021 to 30.08.2022
69.	Shri Sachin Kumar	7 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	21.06.2021 to 28.08.2022
70.	Shri Ramesh Chandra	Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun	w.e.f. 25.06.2021
71.	Ms. Meenakshi Sharma	Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi	w.e.f. 22.06.2021
72.	Ms. Bharti Manglani	Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar	w.e.f. 18.07.2021
73.	Shri Vishal Vashisth	Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala, District Dehradun	w.e.f. 24.06.2021
74.	Ms. Aiswarya Bora	Judicial Magistrate, Bageshwar	w.e.f. 28.06.2021

75.	Ms. Parul Thapliyal	Judicial Magistrate, Rudraprayag	w.e.f.22.06.2021
76.	Shri Amit Bhatt	Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar	w.e.f.24.06.2021
77.	Ms. Chandreshwari Singh	Judicial Magistrate, Laksar, District Haridwar	w.e.f.23.06.2021
78.	Shri Rajendra Kumar	Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora	w.e.f.28.06.2021
79.	Ms. Soniya	Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal	w.e.f.22.06.2021
80.	Ms. Krishtika Gunjyal	Civil Judge (Jr. Div.), Kichha, District Udham Singh Nagar	w.e.f.26.06.2021
81.	Ms. Kalpana	1 st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun	w.e.f.22.06.2021
82.	Shri Rajnish Mohan	Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh	w.e.f.22.06.2021
83.	Shri Puneet Kumar	Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar	w.e.f.23.06.2021
84.	Shri Prakash Chandra	Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi	w.e.f.22.06.2021
85.	Shri Bhupendra Singh Shah	Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun	w.e.f.16.10.2022
86.	Ms. Minakshi Dubey	Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital	w.e.f.02.11.2022
87.	Ms. Bhawna Pandey	Judicial Magistrate-I, Dehradun	w.e.f. 16.10.2022
88.	Shri Vivek Singh Rana	Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar	w.e.f. 26.10.2022
89.	Ms. Shikha Bhandari	Principal Magistrate 1 st Class, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar	w.e.f. 17.10.2022
90.	Shri Rizwan Ansari	Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar	w.e.f. 16.10.2022
91.	Ms. Kanchan Chaudhary	Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Haridwar	w.e.f. 16.10.2022
92.	Ms. Shalini Dadar	Civil Judge (Jr. Div.), Bhikiyasen, District Almora	w.e.f. 17.10.2022
93.	Ms. Nisha Devi	Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun	w.e.f. 16.10.2022
94.	Ms. Shivani Nahar	Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Haridwar	w.e.f. 14.11.2022
95.	Shri Rohit Joshi	Judicial Magistrate-I, Haridwar	w.e.f. 26.10.2022
96.	Shri Shambhu Nath Singh Sethwal	1 st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar	w.e.f. 16.10.2022

97.	Shri Laval Kumar Verma	Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli	w.e.f. 16.10.2022
98.	Shri Kuldeep Narayan	Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal	w.e.f. 22.12.2022
99.	Shri Anil Kumar Kori	Civil Judge (Jr. Div.), Joshimath, District Chamoli	w.e.f. 17.10.2022
100.	Ms. Poonam Todi	Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh	w.e.f. 06.08.2023
101.	Ms. Pallavi Gupta	Judicial Magistrate, Chamoli	w.e.f. 06.08.2023
102.	Ms. Urvashi Rawat	Assistant Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital	w.e.f. 14.08.2023
103.	Shri Shalender Kumar Yadav	Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal	w.e.f. 13.08.2023
104.	Ms. Chairab Batra	Judicial Magistrate, Uttarkashi	w.e.f. 10.08.2023
105.	Ms. Karishma Dangwal	Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar	w.e.f. 13.08.2023
106.	Ms. Tanuja Kashyap	Civil Judge (Jr. Div.), Nainital	w.e.f. 10.08.2023
107.	Shri Manoj Singh Rana	Civil Judge (Jr. Div.), Jaspur, District Udham Singh Nagar	w.e.f. 10.08.2023

2. The grant of ACP benefits for the specified duration shall be governed by the applicable rules and regulations. The arrears arising due to the implementation of ACP benefits shall be processed as per the prevailing financial rules.

3. Arrears of Ms. Shivani Pasbola (*mentioned at serial No. 02*) will be paid by the DLSA, Champawat as the officer was relieved from there at the time of relieving for deputation posting of DRT Chandigarh.

4. Arrears of Ms. Akata Mishra (*mentioned at serial No. 05*) will be paid by the Dehradun judgeship as the officer was relieved from there at the time of relieving for deputation posting of National Highways Authority of India.

5. Arrears of Ms. Shama Nargis (*mentioned at serial No. 32*) will be paid by the Bageshwar judgeship as the officer was relieved from there at the time of technical resignation.

By Order of the Court,

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

Registrar General.

**कार्यालय सभागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल
कार्यालयादेश**

18 नवम्बर, 2024 ई०

पत्रांक-5813/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024—श्री दीपक सिंह नेगी पुत्र श्री राम सिंह नेगी निवासी—जाख पाडली त० कोश्याकुटोली जिला—नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 29.10.2024 को वाहन संख्या यू०के० 04 सी०बी० 7426(चालान संख्या—UK40957241029132429)का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420130121236 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420130121236 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

18 नवम्बर, 2024 ई०

पत्रांक-5814/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024—श्री जीवन सिंह नयाल पुत्र श्री कुन्दन सिंह नयाल निवासी—पाण्डे खोला पो०—अल्मोड़ा जिला—अल्मोड़ा उत्तराखण्ड का दिनांक 21.10.2024 को वाहन संख्या यू०के० 01 बी० 3517 (चालान संख्या—UK144693241021205745) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0120160033959 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0120160033959 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

02 दिसम्बर, 2024 ई०

पत्रांक-6090/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024—श्री अमन कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार निवासी—टी०डी०सी० कॉलोनी, हल्दी पंतनगर, फूलबाग जिला—ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड का दिनांक 16.11.2024 को वाहन संख्या यू०के० 06 यू० 6441 (चालान संख्या—UK40957241116180740) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0620210001934 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0620210001934 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

02 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक-6091/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024-श्री कन्नू गिरी पुत्र श्री हरीश गिरी निवासी- म0सं0-364 दमुवाढुंगाखाम, हल्द्वानी जिला-नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 16.11.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 एल0 4497 (चालान संख्या-UK409572411110237) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420110047059 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420110047059 को निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 28, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे सैन्य अभिलेखोंनुसार, मेरे पुत्र का गलत नाम शौर्य वर्धन सिंह दर्ज है, उसका सही नाम शौर्यवर्धन सिंह S/o No. IC-67017A जय सिंह शेखावत, ग्राम कारोली, पोस्ट कारोली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान-303110 है के नाम से जाना पहचान व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जय सिंह शेखावत

हाल तैनात—Qtr No 142, YP Marg

BEG & Centre, Roorkee

Military Station, Roorkee (UK)

PIN-247667

सूचना

मेरे पुत्री के आधार कार्ड नं0 302862927265 में त्रुटिवश उसका नाम प्रणवी चौधरी दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अधिश्री भाटी है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अधिश्री भाटी पुत्री विशाखा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विशाखा

निवासी गोरधनपुर, लालचंदवाला
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 240534765794 में त्रुटिवश मेरा नाम विवेक धीमान दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम विवेक है भविष्य में मुझे विवेक पुत्र रविन्द्र धीमान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विवेक पुत्र रविन्द्र धीमान

निवासी ग्राम अकबरपुर ढाढेकी
पोस्ट मंगलौर धोढेकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मैं श्याम सिंह चौहान निवासी-ब्रदीपुर, धर्मवाला, विकास नगर, देहरादून। मैंने अपने पुत्र ईव्यान चौहान (Ivyaan Chauhan) का नाम बदलकर हर्षवर्धन चौहान (Harshvardhan Chauhan) रख लिया है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके नये नाम हर्षवर्धन चौहान (Harshvardhan Chauhan) से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्याम सिंह चौहान

निवासी-ब्रदीपुर, धर्मवाला,
विकास नगर, देहरादून

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 290567689909 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम विवान तिवारी दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शिवाय तिवारी है। भविष्य में मेरे पुत्र को शिवाय तिवारी पुत्र अंजू तिवारी पत्नी स्व0 अमित तिवारी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंजू तिवारी पत्नी स्व0 अमित तिवारी

निवासी महादेव एन्क्लेव, नियत पेंसिफिक
स्कूल, पित्थुवाला खुर्द, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड में 765608552344 में मेरा नाम शाकुम्बरी देवी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम शाकुम्बरी देवी है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शाकुम्बरी देवी पत्नी रघुबीर सिंह बिष्ट
निवासी 01 गौशाला रोड पंचायती गौशाला
14 बीघा ऋषिकेश देहरादून।

सूचना

मैंने अपना नाम विजेन्द्र सिंह (VIJENDRA SINGH) से बदलकर नया नाम विजेन्द्र सिंह कंडारी (VIJENDRA SINGH KANDARI) कर लिया है। भविष्य में मुझे विजेन्द्र सिंह कंडारी (VIJENDRA SINGH KANDARI) के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री भीम सिंह
निवासी सी०टी०-23 यमुना कॉलोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे SBI MUTUAL FUND FOLIO NO. 560306193 में त्रुटिवश मेरा नाम TIYA दर्ज हो गया है। जोकि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम AVNI GOYAL है। भविष्य में मुझे AVNI GOYAL D/O ANIL GOYAL के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

AVNI GOYAL D/O ANIL GOYAL
निवासी शिवपुरी कॉलोनी, डाकपत्थर,
विकासनगर, जिला देहरादून
उत्तराखण्ड।